भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 765
7 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: केंद्र प्रायोजित योजना

765. श्री उपेन्द्र सिंह रावत:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित नई योजनाओं का उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं पर आवंटित और खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि विकास कार्यों और कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु से उक्त योजनाओं के अंतर्गत और अधिक धनराशि आवंटित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विभिन्न केंद्र प्रायोजित कृषि योजनाओं/कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों सहित पूरे देश में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं और पिछले 3 वर्षों के दौरान इसकी वित्तीय उपलब्धियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) एवं (ड.): योजनाओं की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। योजनाओं के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और कमियों, यदि कोई है, को सुधारा जाता है और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना, प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, राज्य सरकारों के साथ नियमित पत्राचार, प्रत्येक वर्ष खरीफ, रबी और जायद संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान समीक्षा आदि जैसे उपायों के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। नीति आयोग ने वर्ष 2020 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया था। रिपोर्ट में इन योजनाओं को कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक पाया गया था।

(घ): सरकार को वर्ष 2022 में तमिलनाडु राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण की मांगों के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। इन प्रस्तावों में कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत उच्च आवंटन की मांग शामिल थी। इन योजनाओं के तहत योजनाओं के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों और विशिष्टताओं को ध्यान में

रखते हुए अंतर-राज्य आवंटन निर्धारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध बचत पर, यदि कोई हो, को बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुन: आवंटन के लिए विचार किया जाता है।

(च): कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अखिल भारतीय स्तर पर 22 कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की सिफारिश करना अनिवार्य है। वर्ष 2018-19 से, सरकार ने सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय वाहित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के प्रतिफल के साथ वृद्धि की है।

अनुबंध

पिछले 3 वर्षों के दौरान डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित लाभार्थी उन्मुखी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटित और खर्च की गई निधियों का विवरण

(रू० करोड़ में)

क्र.सं.	मिशन/योजना का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई)	3500.00	2700.04	4000.00	2562.17	4000.00	1796.12
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3745.00	3085.44	3700.00	2561.25	3712.44	1729.11
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2000.00	1768.52	2100.00	1675.23	2096.00	995.17
4	एनईएस क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	160.00	103.80	175.00	137.17	200.00	133.29
5	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	250.00	186.92	202.50	128.44	180.00	76.83
6	परम्परागत कृषि विकास योजना	325.00	283.66	500.00	381.05	450.00	88.57
7	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सहित एकीकृत बागवानी विकास मिशन	2225.00	1331.28	2300.00	1423.34	2385.00	994.83
8	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन	380.13	283.63	378.77	256.62	448.00	141.05
9	पौध संरक्षण और पौध संगरोध उप-मिशन	50.00	30.29	40.00	29.42	45.00	25.33
10	कृषि विस्तार उप-मिशन	950.00	931.70	1200.00	886.33	1173.75	820.98
11	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन	1000.00	964.80	1000.00	999.70	1050.00	816.55
12	समेकित कृषि विपणन योजना	600.00	272.55	490.00	237.80	410.00	238.28
13	राष्ट्रीय बांस मिशन	150.00	84.51	110.00	75.21	100.00	20.59

*****